न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 232/2015

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति-चारण, निवासी-भुम्बलिया
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम तारीख रजू:. 22/06/2015

उपस्थित:. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉक: 14/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में खसरा नम्बर 52, 54, 55, 56, 57, 60 कुल किता-6 कुल रकबा 52-06 बीघा भूमि आई हुई हैं, जो वादी के नाम खातेदारी एवं कब्जाकाश्त सुदा हैं। जिसका उपयोग व उपभोग वादी अपने बाप दादा के वक्त से करता चला आ रहा हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि की हिस्सा-कस्सी बाबत् कोई तनाजा नही हैं, न ही किसी प्रकार का कोई विवाद ही हैं। वादी ने अपने हिस्से मे खाद बीज डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है तथा भूमि को और खेती लायक बनाना चाहता है तथा अपनी भूमि पर बैक से ऋण लेना चाहता है तथा अपनी भूमि पर बैक से ऋण लेना चाहता हैं। इसलिए उसने उसने पटवारी से जमाबंदी ली और बैक में ऋण हेतु आवेदन किया, तो पता चला की वादी की भूमि खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 07 बिस्वा जमाबंदी में गलत अकिंत हो गया है तथा वास्तविक भूमि खसरा नं. 52 में 16-15 बीघा व 57 मे 1-07 किया भिन्नता के कारण उसे ऋण नहीं दिया गया। वादी का गलत रकबा 16-10 एवं 0-07 बीघा के स्थान पर दुरूस्त कर सही रकबा 16-15 बीघा व 1-07 बीघा जमाबंदी में दर्ज किया जावें। वादी का सही खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 1-07 बीघा जिसके दस्तावेज वाद-पत्र के साथ पेश किया हैं, जो प्रदर्षित हैं। बिनायदावा दिनांक 18/05/2015 को पैदा हुआ। जब पट्वारी से जमाबंदी की नंकल बैक मे ऋण हेतु आवेदन किया जो क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-भूम्बिलिया में पेश हुई। वस्तुतः वादी के उक्त रकबा को राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 07 बिस्वा त्रूटिपूर्ण होने व दुरूस्त करने का उक्त दस्तावेजाज साक्ष्य पेश किया हैं। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने लिखित में जबाब पेश किया कि खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 1-07 बीघा हैं। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अपने जबाब से सहमत हैं तथा वास्तविक खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 1-07 बीघा ही हैं, जिसे राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 07 बिस्वा के स्थान पर वास्तविक खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 1-07 बीघा को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-भूम्बिला पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

वादी	प्रतिवादी
1. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति-चारण, निवासी-भुम्बलिया तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)	1. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू-राजस्व अधिनियम — मु0न0 :रा0वा0 स0:232/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिशाल कतई रूबरू ....-......... व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भूम्बलिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-10 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 07 बिस्वा के स्थान पर वास्तविक खसरा नम्बर 52 में रकबा 16-15 बीघा एवं खसरा नम्बर 57 में रकबा 1-07 बीघा को दुरूस्त किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बावत ईजराय हुक्मनामा		गुत्फरिक	
मिजान:-	04-00	मिजान:-	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner